>

Title: Need to provide houses to poor and homeless people belonging to General Category under Indira Awas Yojana.

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): आवास जीवन का अभिन्न अंग है। जिन लोगों के पास आवास नहीं है उनका जीवन एक तरह से नारकीय बन जाता है और विकास के सारे रास्ते बंद रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार इन्दिरा आवास योजना के द्वारा गरीब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवास उपलब्ध करवा रही है। गांव में विधवाएं हैं, विकलांग लोग और सामान्य जाति के गृहविहीन परिवार भी हैं; परन्तु इस योजना का लाभ ग्रामीण विकास मंत्रालय की दिशानिर्देशों के कारण नहीं मिल पा रहा है। गांव के लोगों के कभी कभार बाढ़ एवं आगजनी की घटनाओं से आवास बर्बाद हो जाते हैं और उन्हें बिना घर के अपने परिवार को खेत में या सड़क पर गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता है एवं सांसदों की अनुशंसा को जिला प्रशासन विचार नहीं करता है। हालांकि केन्द्र सरकार ने नियम बना रखें हैं कि सांसदों की सिफारिश पर गहनता से विचार किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि बाढ़ एवं आगजनी की घटना से सामान्य जाति के आवास के बर्बाद होने पर उन्हें इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए और गांव की सामान्य जाति की गरीब विधवा एवं गरीब विकलांग को इन्दिरा आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए दिशानिर्देशों में परिवर्तन किया जाए।